न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

राजस्व वाद संख्या : **101/2019**

GCMS NO. : **2019/00180**

–: वादी :–

1. लक्ष्मणराम पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल निवासी– चेनपुरा पोस्ट सेवरिया तहसील–जैतारण, जिला–पाली राज०।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. रुकमा देवी पत्नी उदाराम
2. लाडूदेवी पुत्री उदाराम
3. सुटीदेवी उर्फ सुवटीदेवी पुत्री उदाराम
4. सोपालराम पुत्र पूसाराम
5. महेन्द्र पुत्र पुसाराम
6. सुरेश पुत्र पूसाराम
7. सीता पुत्री पुसाराम
8. गीता पुत्री पुसाराम
9. भरपाई पुत्री पुसाराम प्रतिवादी संख्या 6 से 9 नाबालिग जरिए कुदरती वली भाई सोपालराम जातियान– गुर्जर निवासीगण रूपनगर तहसील जैतारण।
10. देवीसिंह पुत्र नगसिंह
11. भेरूसिंह पुत्र नगसिंह
12. हरजीसिंह पुत्र नगसिंह
13. महेन्द्रसिंह पुत्र नगसिंह
14. कवरी पुत्री नगसिंह
15. शारदा पुत्री नगसिंह
16. मीरा पुत्री नगसिंह
17. तुलसी पत्नी नगसिंह जातियान रावत निवासी देवरिया राजपूताना तहसील जैतारण।
18. नारायणराम पुत्र प्रभुराम जाति गुर्जर [illegible]म लाम्बा जाटान [illegible] जिला नागौर
19. तहसीलदार जैतारण।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधियम, 1956

तारीख रजू:.27.05.2019

उपस्थितः– 1. श्री महावीर सिह उदावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनॉकः– 16/06/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास चक प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज मे राजस्व रेकर्ड खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 51 खसरा नम्बर 300 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी की नकल वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 18 की संयुक्त व सामलाती कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसमे शांतिपूर्वक लगातार काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 कर रहे थे उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 03 का 1/4 वां हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या चार से लगायत नौ का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 से 17 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 18 का 1/4 हिस्सा आता था। उक्त वर्णित भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या एक से 18 के हित व हिस्से की भूमि थी जो कही पर रहन बेचान बक्सीस आदि की हुई नही है तथा इस पर किसी प्रकार का कोई ऋण या लोन देनदार या विवाद आदि बकाया नही होने से प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन व प्रतिवादीगण संख्या चार से लगायत नो के पिता पूसाराम पुत्र जोगाराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 से लगायत 18 के पिता नगसिंह पुत्र बुधसिंह तथा प्रतिवादीगण संख्या 19 ने उपरोक्त कृषि भूमि मे से कुछ हिस्सा 900 वर्गफिट का बेचाननामा वादी के पक्ष मे दिनांक 25/05/2015 को तहसील कार्यालय जैतारण में किया गया था तथा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा सुपूर्द किया गया था तब से वादी तमाम काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य कर रहा है तथा मौके पर काबिज है उक्त बेचान खसरा नम्बर 300 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा मे से 900 वर्गफिट की [illegible] गया था जिस बेचान की प्रति वादपत्र के साथ पेश है। बादी ने अप[illegible] बेचान की गयी कृषि भूमि की नकल पटवारी हल्का रास प्रथम को [illegible] दी तथा पटवारी हल्का रास ने बादी के नाम [illegible]न्तरण भरने का आश्वासन देकर कहा गया कि आपके नाम नामान्तरण भर दि[illegible] जायेगा। उपरोक्त भूमि को आगे वादग्रस्त कृषि भूमि लिखा जायेगा। प्रतिवादीगण संख्या चार से जो के पिता पूसाराम पुत्र श्री छोगाराम जी तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 से 17 के पिता नगसिंह पुत्र बुधासिंह द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि बादी को बेचान करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 04 से लगायत 17 के पिता पूसाराम व नगसिंह का देहान्त हो गया था तब पूसाराम व नगसिंह के कायम मुकाम प्रतिवादीगण संख्या चार से 18 के नाम की प्रविष्ठि जरिये फौतेदगी म्युटेशन के कर दी गई तथा उनका नाम राजस्व रेकर्ड मे गलत रूप से इन्द्राज हो गया तथा वादी के नाम बेचान के पश्चात उसके नाम के हिस्से की कृषि भूमि का नामान्तरण नही भरा गया। वादी ने पटवारी हल्का से कई बार मौखिक निवेदन किया लेकिन पटवारी हल्का ने नामान्तरण नहीं भरा प्रतिवादीगण संख्या चार से लगायत 17 के नामो की जो गलत प्रविष्ठ की गयी है उनके हक हिस्से अनुसार ही की जानी चाहिये थी क्योंकि कुछ हिस्सा वादी के नाम बेचान कर दिया गया था इसलिए कुछ हिस्से की कृषि भूमि वादी के नाम नही करके प्रतिवादीगण संख्या चार से लगायत सत्रह के नाम कर दी गयी जो प्रविष्ठिया वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे गलत है राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत प्रविष्ठिया वादी के कानूनी एवं साम्पैतिक खातेदारी व अपने हिस्से के हितो के विरूद्ध बेअसर व शून्य है। वादी ने दिनांक 30/11/2018 को तहसील कार्यालय से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी की नकले ली तब वादी को पता चला कि उसके नाम की खरीद की गयी कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड मे उसका नाम दर्ज नहीं कर रखा है तब वादी पटवारी पटवार हल्का रास से मिला तब पटवारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दुगा लेकिन पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज नहीं किया गया तथा बार बार पटवारी हल्का रास से निवेदन करने पर भी वादी का नाम उपरोक्त वर्णित कृषिभूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं किया गया तब वादी ने दिनांक 30/04/2019 को प्रतिवादीगण को कहा कि मैने आपसे जो जमीन खरीदी है मेरे हिस्से की कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम दर्ज नहीं हुआ है इसलिए आप साथ चलकर मेरे नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराओ और कार्यवाही करो तो प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वह वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही करवायेगे एवं न ही करने देगे वादी को बेचान की गयी उसके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करके भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर देगे। वादी ने समझाने का प्रयास किया तो भी प्रतिवादीगण नही माने वादी वादग्रस्त कृषि भूमि मे घोषणा के जरिये अपने नाम की राजस्व रेकर्ड प्रविष्टि करवाने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण द्वारा गलत राजस्व रेकर्ड का नाजायज फायदा उठाते हुए वादी को जबरन बेदखल करके वादग्र[illegible] कृषि भूमि [illegible] हस्तान्तरण कर दिया गया तो वादी की रोजीरोटी का अधिकार समाप्त [illegible] जाये[illegible] तथा वादी का एक मात्र रोजीरोटी का एक मात्र जरिये वादग्रस्त कृषि भूमि [illegible] तथा वादी को असीम क्षति होगी ऐसी स्थिति मे वादी [illegible] हितकारी साम्पैतिक कानूनी अधिकारो की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है लिहा[illegible] यह वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरुस्ती का विरूद्ध प्रतिवादीगण श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 19 राजकीय अधिकारी है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादी का वाद करने का मकसद ही विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। बिनाय वाद दिनांक 30/11/2018 को वादी द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर पटवारी हल्का रास को राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम दर्ज करने का बार बार निवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड मे नाम इन्द्राज नही करने पर वादी द्वारा दिनांक 30/04/2019 को प्रतिवादीगण को राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इन्कार करने एवं वादी को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल करने तथा उक्त भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास तहसील जैतारण जिला पाली राज मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर मयाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को को जरिए सम्मन वास्ते जवाब तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 13 से 16 व 18 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 व 17 की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 व 17 जवाबदावा पेश नही करना चाहते है अतः जवाबदावा बन्द किया गया। अधिवक्ता वादी ने मुख्यपरीक्षण में वादी लक्ष्मणराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु1, गवाह मांगूराम पुत्र जीवणराम का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु2 तथा गवाह सुखसिंह पुत्र नेनुसिंह का साक्ष्य शपथ पत्र पी.डब्लु.3 पेश किए, जो शामिल मिसल किए गए। प्रदर्श करवाए गए।

हमनें वादपत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रास चक प्रथम [illegible] खसरा संख्या 300 रकबा 05-12 बीघा, किस्म बारानी दोयम में [illegible] संख्या 1 से 03 का 1/4वां हिस्सा तथा प्रतिवादीगण [illegible] हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 से 18 का [illegible] संख्या 1/4वां हिस्सा था। प्रतिवादीगण संख्या एक से तीन व चार [illegible] नौ के पिता पुसाराम पुत्र जोगाराम, तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 18 के पिता नगसिंह पुत्र बुधसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 19 ने उपर्युक्त भूमि में कुछ हिस्सा 900 वर्गफीट का बैचाननामा वादी के पक्ष में दिनांक 25.05.2015 को कर भौतिक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कब्जा सुपुर्द कर दिया जिस पर वादी काबिज है लेकिन उसका नामान्तरण नहीं भरा गया। उपर्युक्त बैचान के बाद प्रतिवादी संख्या 4 से लगाकर 18 के पिता पुसाराम एवं नगसिंह का देहान्त हो गया तथा इनके वारिसान का नाम दर्ज हो गया जो कि गलत है क्योकि कुछ हिस्सा वादी के नाम बैचान कर दिया गया था। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 300 रकबा 05-12 बीघा में से वादी द्वारा खरीद सुदा 900 वर्गफीट भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वाद डिक्री फरमाया जावे।

2. प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से जवाबदावा अवसर बन्द किया जाकर साक्ष्य ली गई तथा उभयपक्ष की विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. प्रदर्श-1 ग्राम्र रास चक प्रथम की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी किस्म बारानी दोयम अर्थात कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि में वर्गफीट व वर्गगज के बैचान के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत होना अंकित है। प्रदर्श-2ए पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 25.05.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत बैचान प्लॉट के रूप में हुआ है जिसमें विक्रित भूखण्ड एवं इसके पड़ोस में स्थित भू खण्डों की प्लॉट संख्या अंकित है तथा रकबा वर्गफुट में तथा लम्बाई व चौड़ाई फीट में दर्ज है। बैचाननामा के साथ खसरा संख्या 300 रकबा 05-12 बीघा की भूमि का आवासीय प्लॉट हेतु प्रस्तावित Lay Out Plan दर्शाया हुआ है जिसमें नक्शे में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर प्लॉट, प्लॉट संख्या, सड़कें आदि अंकित है, लेकिन पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त आराजी का सक्षम अधिकारी से नियमानुसार अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने बाबत् कोई आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। वर्तमान भू अभिलेख से भी वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि होना साबित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति कृषि भिन्न प्रयोजन अर्थात् आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया गया है। साथ ही छोटे आवासीय भू खण्डों में विभाजित कर बैचान किया गया जिनकी भू नक्शा में तरमीम नहीं हो सकती है। साथ ही भू अभिलेख में केवल बीघा बिस्वा एवं हैक्टेयर में ही अधिकृत रूप से भूमि का रकबा अंकित किया जा सकता है, न की वर्गगज या वर्गफीट में। ऐसा कोई भू खण्ड जिसकी भू नक्शा में तरमीम नहीं की जा सकती उसका नामान्तरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी का बिना सक्षम स्वीकृत के कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लेने मौके पर प्लॉटिंग आदि कर देने, वादपत्र में दर्शित भूमि वर्गफीट में प्लॉट के रूप में क्रय करने, तथा भू अभिलेख में भूमि का रकबा केवल बीघा बिस्वा एवं हैक्टेयर के रूप में ही दर्ज होने व भू नक्शा पर वर्गफीट रकबा के छोटे प्लॉट की तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

नहीं होने के कारण हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होता है अतः वादपत्र को खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण कर मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग होने का संबधित के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आवश्यक विधिक कार्यवाही करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 16/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 101/2019
GCMS No. : 2019/00180

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. लक्ष्मणराम पुत्र प्रभूराम जाति मेघवाल निवासी- चेनपुरा पोस्ट सेवरिया तहसील-जैतारण, जिला- पाली राज0।

1. रूकमा देवी पत्नी उदाराम
2. लाडूदेवी पुत्री उदाराम
3. सुटीदेवी उर्फ सुवटीदेवी पुत्री उदाराम
4. सोपालराम पुत्र पूसाराम
5. महेन्द्र पुत्र पुसाराम
6. सुरेश पुत्र पूसाराम
7. सीता पुत्री पुसाराम
8. गीता पुत्री पुसाराम
9. भरपाई पुत्री पुसाराम प्रतिवादी संख्या 6 से 9 नाबालिग जरिए कुदरती वली भाई सोपालराम जातियान- गुर्जर निवासीगण रूपनगर तहसील जैतारण।
10. देवीसिंह पुत्र नगसिंह
11. भेरूसिंह पुत्र नगसिंह
12. हरजीसिंह पुत्र नगसिंह
13. महेन्द्रसिंह पुत्र नगसिंह
14. कवरी पुत्री नगसिंह
15. शारदा पुत्री नगसिंह
16. मीरा पुत्री नगसिंह
17. तुलसी पत्नी नगसिंह जातियान रावत निवासी देवरिया राजपूताना तहसील जैतारण।
18. नारायणराम पुत्र प्रभूराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाम्बा जाटान तहसील मे[illegible] जिला नागौर
19. तहसील[illegible] जैता[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22.17 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद बाबतघोषणा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

[illegible]2019

निर्णय एवं डिक्री दिनांक [illegible].06.2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी श्री महावीर सिंह उदावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री धर्मेश जांगीड मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण कर मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग होने का संबधित के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आवश्यक विधिक कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 16/06/2022 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04	–00	स्टाम्प वकालतनामा	02	–00
स्टाम्प वकालतनामा	01	–00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	20	–00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	25	–00	मिजानः–	02	–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:17 IST
Reason: SelfAttested